न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बरेली।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–662 / 2026

(सी0एन0आर0 संख्या–यूपीबीआर 01–002651 / 2026)

कमल पटेल उर्फ रामवीर सिंह पुत्र अमर सिंह,

निवासी ग्राम म्यूड़ी खुर्द, थाना भुता, जिला बरेली।

बनाम

राज्य

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–689 / 2026

(सी0एन0आर0 संख्या–यूपीबीआर 01–002611 / 2026)

संजीव पुत्र रोशनलाल,

निवासी ग्राम फरीदापुर इनायत खॉ, थाना बिथरी चैनपुर, जिला बरेली।

बनाम

राज्य

अपराध संख्या 27 / 2026
धारा–191(2),190,121,132,221,109 बी0एन0एस0 एवं
7 सी.एल. एक्ट
थाना बिथरी चैनपुर, जिला बरेली।

10.03.2026

1. थाना बिथरी चैनपुर, जिला बरेली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 27 / 2026, धारा–191(2),190,121,132,221,109 बी0 एन0 एस0 एवं धारा 7 सी. एल. एक्ट में आवेदकगण **कमल पटेल उर्फ रामवीर सिंह** एवं **संजीव** की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित हैं।

2. उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या से सम्बन्धित हैं। अतः उपरोक्त दोनो जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

3. आवेदक / अभियुक्त कमल पटेल उर्फ रामवीर सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे प्रधानी के चुनाव की रंजिश की वजह से झूठा फॅसाया गया है। आवेदक द्वारा किसी को चोट नहीं पहुॅचायी गयी। घटना का कोई चक्षुसाक्षी नहीं है। प्रकरण पुलिस से सम्बन्धित है तथा पुलिस द्वारा फर्जी कहानी बनाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। आवेदक / अभियुक्त मौके पर गिरफतार नहीं किया गया है। आवेदक / अभियुक्त के पास से चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक / अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बतायी गयी है। आवेदक को गॉव में निवास करने के कारण इस मामले में फॅसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक जिला कारागार में निरूद्व है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

4. आवेदक संजीव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है तथा उसे षडयन्त्र के तहत बेगार न करने की वजह से साजिशन फॅसाया गया है। आवेदक द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना कारित नहीं की गयी। थाना पुलिस आवेदक को घर से पकड़कर रात में गाड़ी सहित ले गयी तथा मारपीटकर चोटें पहुॅचायी गयी जिससे उसके शरीर पर चोटें आयी जिसका खुलासा मेडिकल परीक्षण में भी किया गया

है। आवेदक की गिरफतारी विधि के नियमों को अनदेखा करके की गयी है। आवेदक दिनॉक 23.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। आवेदक की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक की जमानत न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि.), बरेली द्वारा दिनॉक 05.02.2026 को खारिज की जा चुकी है। आवेदक की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि मौके से किस फोन नम्बर से फोन कर अधिकारी बुलाये गये, स्पष्ट नहीं है और फोन कितने बजे किया गया, इसकी भी साक्ष्य नहीं है। इतनी बड़ी घटना के बाद थाने से मात्र दो पुलिस कर्मचारियों पहुॅचे, यह तथ्य घटना को संदिग्ध बनाता है जबकि थाना मात्र डेढ़ किमी0 दूर था और थाना टी.पी. नगर के पुलिसकर्मी भी घटनास्थल पर पहुॅचे हैं जो घटनास्थल से लगभग आठ किमी0 दूर है। एक तरफ यह कहा जाता है कि घटनास्थल पर एक तरफ वाहनों की कतार लग गयी, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि आवेदक कार लेकर फरार हो गया जो कि संभव नहीं है, गिरफतारी मेमो पर समय का उल्लेख नहीं है और आवेदक के किसी चोट का उल्लेख नहीं है जबकि पुलिस द्वारा करायी गयी चिकित्सीय परीक्षण में तीन चोटें आना पाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक संजीव की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि डम्पर थाने पर विधि विरूद्व तरीके से रखा गया है जिससे उसको हानि पहुॅच रही है। यह कृत्य दर्शाता है कि आवेदक को रंजिशन पुलिस द्वारा बिना किसी भूमिका के फॅसाया गया है। यह भी तर्क है कि मौके पर जिस गाड़ी को चालान के लिए पकड़ा गया, उसके संदर्भ में कोई कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में नही है, उस वाहन में बैठे लोगों के संदर्भ में की गयी कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है। घटना में बताये गये तीनों चुटहिलों का परीक्षण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही हो गया था और एक का परीक्षण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के काफी बाद हुआ है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण ने एक राय होकर पुलिस बल पर हमला किया। स्थानीय उपनिरीक्षक व पुलिस बल मौके पर उपस्थित आये जिन्होंने अभियुक्तगण को पहचाना है। इस घटना में तीन पुलिस कर्मियों को चोटें आयी हैं। सहअभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। आवेदकगण की भूमिका सहअभियुक्तगण के समान है। अभियोजन की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक संजीव के डम्पर को थाने में निरूद्व करना, आवेदक संजीव के व्यवसाय, मौके पर पुलिस बल को बुलाये जाने की परिस्थिति में कोई विरोधाभास नहीं है और मात्र उक्त तर्क के आधार पर जमानत स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं है वह भी तब जब कई पुलिस कर्मचारी चुटहिल हुए हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6. मैंने उभय पक्षों के तर्कों को विस्तार से सुना तथा समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनॉक 22.01.2026 को वादी मुकदमा मय अन्य पुलिस बल मय जीप सरकारी चालक कपिल ठाकुर सादा वस्त्रों में थाना क्षेत्र बिथरी चैनपुर में मामूर से कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग पिकटप गाडी यू0पी0 बीटी0 6831 में चोरी के बैट्री भरकर बिथरी पुल की तरफ से पी.ए. सी. नहर की तरफ आने वाला है। सूचना पर विश्वास कर इंतजार करने लगे कि समय 19.25 बजे एक पिकअप गाड़ी आती दिखायी दी, मुखबिर इशारा करके चला गया, नजदीक आने पर गाड़ी को रोककर बैठे व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम धर्मवीर पुत्र नन्हें लाल, दूसरे ने वारिस पुत्र सफायत अली तथा तीसरे ने सैफ पुत्र शमीम खॉ बताया तथा इसी समय दूसरी कार सं0 यू.पी. 25 सी डी 8070 आयी जिसमें से चार–पॉच व्यक्ति आये, गाड़ी रोकने का विरोध करने लगे तथा हमलावर होते हुए धक्का–मुक्की करने लगे। थाना बिथरी चैनपुर को सूचित करने पर उ.नि. वैभव गोलियान व कां0 राहुल आ गये। तभी उपस्थित लोगों ने शोर मचाते हुए गॉव से अन्य व्यक्तियों

अभिमन्यू, कमलेश तथा दीपक आदि को बुला लिया। इन लोगों ने आते ही लाठी डण्डों से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया जिससे मधुर, हे0 कां0 कमल व कां0 अनुज को चोटें आयी। पुलिस कर्मचारियों द्वारा संजीव, पूर्व प्रधान कमलेश, अभिमन्यु, नरेश, पप्पू तथा दीपक को पहचाना गया।

8. चिकित्सक द्वारा शशि कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी की आघात आख्या संकलित की गयी है जिसमें उसके बॉये कंधे पर सख्त सतह मौजूद होना तथा उसका कुन्दालय की चोट होना अंकित है।

9. चिकित्सक द्वारा आरक्षी मधुर की आघात आख्या संकलित की गयी है जिसमें उसके शरीर पर सिलाई किये जाने का उल्लेख है और यह चोट बैट (कुन्दालय) से आना अंकित है। बॉये हाथ की भुजा पर सूजन अंकित है। दाहिने कंधे पर कुन्दालय की आघात सूजन और सख्त सतह के साथ अंकित है। दाहिने कान में सुनने की समस्या भी वर्णित है।

10. मुख्य आरक्षी ज्ञानेन्द्र की आघात आख्या में बॉये कान में सुनने की समस्या कुन्दालय की चोट के कारण आने का उल्लेख है। रिव्स में कठोरता का उल्लेख है और पीछे की ओर कुन्दालच की चोट सख्त के साथ वर्णित है।

11. चिकित्सक द्वारा तैयार की गयी उक्त आघात आख्या में चोटों के शरीर पर स्थान का स्पष्ट व सटीक उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन यह अवश्य दर्शित हो रहा है कि पुलिस बल के तीन सदस्य घटना में चुटहिल हुए हैं।

12. इस न्यायालय द्वारा पूर्व में सहअभियुक्तगण दीपक एवं अभिमन्यू की जमानत भी निरस्त की जा चुकी है। अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदकगण की भूमिका भी सहअभियुक्तगण उपरोक्त के समान है। अभियुक्तगण दीपक एवं अभिमन्यू की जमानत भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक स्वीकार भी नहीं की गयी है।

13. उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त आवेदकगण कमल पटेल उर्फ रामवीर सिंह एवं संजीव की तरफ से दिये गये तर्कों के दृष्टिगत तथा मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना यह न्यायालय इस मत की है कि आवेदकगण की जमानत स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण **संजीव** एवं **कमल पटेल उर्फ रामवीर सिंह** का जमानत प्रार्थना निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक–एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0–689/2026 एवं विचारण/रिमाण्ड पत्रावली में रखी जाये।

(प्रदीप कुमार सिंह–II)
आई.डी.यू.पी. 1905
सत्र न्यायाधीश,
बरेली।

दिनांकः 10.03.2026

Digitally signed by PRADEEP KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:47:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court